



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941

No. 267]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019

सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.048.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 30क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“30क.आवेदन का वापस लिया जाना।

(1) धारा 12क के अधीन वापसी के लिए आवेदन, -

(क) समिति के गठन से पूर्व, आवेदक द्वारा अंतरिम समाधान व्यावसायिक के माध्यम से;

(ख) समिति के गठन के पश्चात्, आवेदक द्वारा, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के माध्यम से,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किया जा सकेगा:

परन्तु जहां आवेदन खंड (ख) के अधीन, विनियम 36क के अधीन रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण जारी किए जाने के पश्चात् किया जाता है वहां आवेदक ऐसे आमंत्रण जारी किए जाने के पश्चात् वापसी को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों का कथन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन अनुसूची के प्ररूप चक्र में किया जाएगा और उसके साथ

(क) विनियम 33 के प्रयोजनों के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या उसके द्वारा उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख तक उपगत अनुमानित व्यय मद्धे; या

(ख) विनियम 31 के खंड (कक), खंड (कख), खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख तक उपगत अनुमानित व्यय मद्धे,

बैंक गारंटी संलग्न की जाएगी।

(3) जहां वापसी के लिए कोई आवेदन उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन है वहां अंतरिम समाधान व्यावसायिक, उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां वापसी के लिए कोई आवेदन उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन है वहां समिति आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उस पर विचार करेगी।

(5) जहां उप-विनियम (4) के के संदर्भित आवेदन का समिति द्वारा नब्बे प्रतिशत मतदान अंश सहित अनुमोदन कर दिया जाता है वहां समाधान व्यावसायिक, ऐसा आवेदन समिति के अनुमोदन सहित, ऐसे अनुमोदन के तीन दिन के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उप-विनियम (3) या उप-विनियम (5) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को स्वीकृत कर सकेगा।

(7) जहां आवेदन को उप-विनियम (6) के अधीन स्वीकृत कर लिया जाता है वहां आवेदक उप-विनियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख तक, यथा-स्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक द्वारा यथा-अवधारित, उपगत वास्तविक व्यय मद्धे रकम, ऐसीस्वीकृत के तीन दिन के भीतर कारपोरेट ऋणी के बैंक खाते में जमा कराएगा जिसके न हो सकने पर, संहिता के अधीन आवेदक के विरुद्ध अनुज्ञेय किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त की गई बैंक गारंटी का अवलंब लिया जाएगा।”।

3. मूल विनियम के विनियम 31 में,-

(i) खंड (कक) में, “उप-विनियम (7)” के स्थान पर “उप-विनियम (8)” रखे जाएंगे;

(ii) खंड (कख) में, “धारा 25” के स्थान पर “धारा 25क” रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु समिति समाधान योजनाओं की साध्यता और व्यवहार्यता के संबंध में अपनी चर्चा को लेखबद्ध करेगी।”।

5. मूल विनियमों में, विनियम 39क के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“39ख.समापन लागत की पूर्ति करना

(1) समिति, धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन किसी समाधान योजना का अनुमोदन करते समय या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय, धारा 33 के अधीन समापन का आदेश पारित किए जाने की दशा में, समाधान व्यावसायिक से परामर्श करके समापन की लागत को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम का सर्वोत्तम आकलन कर सकेगी।

(2) समिति, उप-विनियम (1) में यथा-आकलित समापन की लागत की पूर्ति के लिए उपलब्ध तकद आस्तियों का सर्वोत्तम आकलन करेगी।

(3) जहां उप-विनियम (2) के अधीन आकलित नकद आस्तियां उप-विनियम (1) के अधीन आकलित समापन लागत से कम हैं वहां समिति दोनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए अंशदान करने का उपबंध करने वाली योजना का अनुमोदन करेगी।

(4) समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, धारा 30 या धारा 33 के अधीन समिति का अनुमोदन या विनिश्चय फाइल करते समय उप-विनियम (3) के अधीन अनुमोदित योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए “समापन लागत” का वहीं अर्थ होगा जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (डक) में उसका है।

39ग. चालू समुत्थान के रूप में विक्रय का निर्धारण

(1) समिति, धारा 30 के अधीन किसी समाधान योजना का अनुमोदन करते समय या धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय समापन संबंधी आदेश धारा 33 के अधीन पारित किए जाने की दशा में, इस बारे में सिफारिश कर सकेगी कि सर्वप्रथम परिसमापक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 32 के खंड (ड) के अधीन चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी का विक्रय करने या उसके खंड (च) के अधीन चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी के कारबार का विक्रय करने की कोशिश करे।

(2) जहां समिति चालू समुत्थान के रूप में विक्रय करने की सिफारिश करती है वहां वह उन आस्तियों और दायित्वों की पहचान करेगी और उनका समूहीकरण करेगी, जिनका विक्रय उनके वाणिज्यिक प्रतिफलों के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 32 के खंड (ड) या खंड (च) के अधीन चालू समुत्थान के रूप में किया जाना चाहिए।

(3) समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, धारा 30 या धारा 33 के अधीन समिति का अनुमोदन या विनिश्चय फाइल करते समय उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अधीन समिति की सिफारिश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

39घ. परिसमापक की फीस

समिति, धारा 30 के अधीन किसी समाधान योजना का अनुमोदन करते समय या धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय, यदि समापन का आदेश धारा 33 के अधीन पारित किया जाता है, तो समाधान व्यावसायिक से परामर्श करके,-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन समझौते या ठहराव के लिए प्रयुक्त अवधि, यदि कोई हो;

(ख) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 32 के खंड (ड) और (च) के अधीन विक्रय के लिए प्रयुक्त अवधि, यदि कोई है; और

(ग) समापन की शेष अवधि

के लिए परिसमापक को संदेय फीस नियत कर सकेगी।”।

6. मूल विनियमों के विनियम 40क की सारणी में,-

(i) “विनियम 13(1)” और “विनियम 13(2)” से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“विनियम 13(1)	विनियम 12(1) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	दावा प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर	टी+21
	विनियम 12(2) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन		टी+97”;

(ii) “धारा 22(1)/विनियम 19(1)” से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“धारा 22/ विनियम 19(2)	लेनदारों की समिति की प्रथम बैठक	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट फाइल करने के 7 दिन के भीतर किन्तु पांच दिन की सूचना सहित।	टी+30”
------------------------	---------------------------------	---	--------

(iii) “विनियम 27” से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“विनियम 27	मूल्यांकक की नियुक्ति	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से 7 दिन के भीतर किन्तु प्रारंभ होने के 47वें दिन के अपश्चात्।	टी+47”।
------------	-----------------------	--	---------

7. मूल विनियमों की अनुसूची में, -

(क) प्ररूप चक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप चक

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया वापस लेने के लिए आवेदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 30क के अधीन]

(तारीख)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक के माध्यम से)

(कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय: (कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए स्वीकृत आवेदन की वापसी ।

मैंने (आवेदक का नाम), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7/धारा 9/धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष.....(फाइल करने की तारीख) को (आवेदन की विशिष्टियां, अर्थात् डायरी सं./मामला सं.) आवेदन फाइल किया था । उक्त आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा(तारीख) को(मामला सं.) के रूप में ग्रहण कर लिया गया था ।

2. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7/धारा 9/धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष मेरे द्वारा फाइल किए गए आवेदन..... (आवेदन की विशिष्टियां, अर्थात् डायरी सं./कंपनी याचिका सं.) को वापस लेता हूँ ।

3. मैं विनियम 30क के उप-विनियम (2) के अनुसार अपेक्षित बैंक गारंटी संलग्न करता हूँ ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अभिहित भागीदार द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]”।

(ख) प्ररूप ज में,-

(i) पैरा 9 में, विनियम 38(1) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्

“विनियम 38(1)	क्या समाधान योजना के अधीन प्रक्रियागत लेनदारों को देय रकम का संदाय करने में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले पूर्विकता दी गई है?;		
---------------	--	--	--

(ii) पैरा 10 में, विनियम 36(1) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“विनियम 36(1)	लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	टी+54”।	
---------------	--	---------	--

(iii) पैरा 15 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

“15क. समिति ने विनियम 39ख के अधीन निम्न प्रकार अंशदान प्रदान करने के लिए एक योजना का अनुमोदन कर दिया है:

- क. प्राक्कलित समापन लागत:रुपए
 ख. उपलब्ध प्राक्कलित नकद आस्तियां: रुपए
 ग. किए जाने वाले अपेक्षित अंशदान: रुपए
 घ. वित्तीय लेनदार-वार अंशदान निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	वित्तीय लेनदार का नाम	अंशदान की जाने वाली रकम (रुपए)
1		
2		
..		
योग		

15ख. समिति ने विनियम 39ग के अधीन निम्न प्रकार सिफारिश की है:

- क. चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी का विक्रय: हां / नहीं
 ख. चालू समुत्थान के रूप में कारपोरेट ऋणी के कारबार का विक्रय: हां / नहीं

सिफारिश के ब्यौरे समाधान व्यावसायिक के पास उपलब्ध हैं।

15ग. समिति ने समाधान व्यावसायिक से परामर्श करके, विनियम 39घ के अधीन समापन अवधि के दौरान परिसमापक को संदेय फीस नियत कर दी है।”]

डॉ. एम. एस साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन.-III/4/असा./153/19]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्

- (1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 318, तारीख 16 अगस्त, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;
- (2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 386, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 432, तारीख 7 नवम्बर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 01, तारीख 1 जनवरी, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय

दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017;

- (5) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 49, तारीख 6 फरवरी, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018;
- (6) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 124, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.030, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;
- (7) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 253, तारीख 4 जुलाई, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.031, तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018;
- (8) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 372, तारीख 5 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.032, तारीख 5 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018;और
- (9) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 21, तारीख 24 जनवरी, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.040, तारीख 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019

द्वारा संशोधन किए गए थे ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2019

No. IBBI/2019-20/GN/REG048.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), for regulation 30A, the following regulation shall be substituted, namely: -

“30A. Withdrawal of application.

(1) An application for withdrawal under section 12A may be made to the Adjudicating Authority -

(a) before the constitution of the committee, by the applicant through the interim resolution professional;

(b) after the constitution of the committee, by the applicant through the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be:

Provided that where the application is made under clause (b) after the issue of invitation for expression of interest under regulation 36A, the applicant shall state the reasons justifying withdrawal after issue of such invitation.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made in Form FA of the Schedule accompanied by a bank guarantee-

(a) towards estimated expenses incurred on or by the interim resolution professional for purposes of regulation 33, till the date of filing of the application under clause (a) of sub-regulation (1); or

(b) towards estimated expenses incurred for purposes of clauses (aa), (ab), (c) and (d) of regulation 31, till the date of filing of the application under clause (b) of sub-regulation (1).

(3) Where an application for withdrawal is under clause (a) of sub-regulation (1), the interim resolution professional shall submit the application to the Adjudicating Authority on behalf of the applicant, within three days of its receipt.

(4) Where an application for withdrawal is under clause (b) of sub-regulation (1), the committee shall consider the application, within seven days of its receipt.

(5) Where the application referred to in sub-regulation (4) is approved by the committee with ninety percent voting share, the resolution professional shall submit such application along with the approval of the committee, to the Adjudicating Authority on behalf of the applicant, within three days of such approval.

(6) The Adjudicating Authority may, by order, approve the application submitted under sub-regulation (3) or (5).

(7) Where the application is approved under sub-regulation (6), the applicant shall deposit an amount, towards the actual expenses incurred for the purposes referred to in clause (a) or clause (b) of sub-regulation (2) till the date of approval by the Adjudicating Authority, as determined by the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, within three days of such approval, in the bank account of the corporate debtor, failing which the bank guarantee received under sub-regulation (2) shall be invoked, without prejudice to any other action permissible against the applicant under the Code. ”.

3. In the principal regulations, in regulation 31,-

(i) in clause (aa), for “sub-regulation (7)”, “sub-regulation (8)” shall be substituted;

(ii) in clause (ab), for “section 25”, “section 25A” shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 39, in sub-regulation (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the committee shall record its deliberations on the feasibility and viability of the resolution plans.”.

5. In the principal regulations, after regulation 39A, the following regulations shall be inserted, namely: -

“39B. Meeting liquidation cost.

(1) While approving a resolution plan under sub-section (4) of section 30 or deciding to liquidate the corporate debtor under sub-section (2) of section 33, the committee may make a best estimate of the amount required to meet liquidation costs, in consultation with the resolution professional, in the event an order for liquidation is passed under section 33.

(2) The committee shall make a best estimate of the value of the liquid assets available to meet the liquidation costs, as estimated in sub-regulation (1).

(3) Where the estimated value of the liquid assets under sub-regulation (2) is less than the estimated liquidation costs under sub-regulation (1), the committee shall approve a plan providing for contribution for meeting the difference between the two.

(4) The resolution professional shall submit the plan approved under sub-regulation (3) to the Adjudicating Authority while filing the approval or decision of the committee under section 30 or 33, as the case may be.

Explanation.- For the purposes of this regulation, ‘liquidation costs’ shall have the same meaning as assigned to it in clause (ea) of sub-regulation (1) of regulation (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016.

39C. Assessment of sale as a going concern.

(1) While approving a resolution plan under section 30 or deciding to liquidate the corporate debtor under section 33, the committee may recommend that the liquidator may first explore sale of the corporate debtor as a going concern under clause (e) of regulation 32 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 or sale of the business of the corporate debtor as a going concern under clause (f) thereof, if an order for liquidation is passed under section 33.

(2) Where the committee recommends sale as a going concern, it shall identify and group the assets and liabilities, which according to its commercial considerations, ought to be sold as a going concern under clause (e) or clause (f) of regulation 32 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016.

(3) The resolution professional shall submit the recommendation of the committee under sub-regulations (1) and (2) to the Adjudicating Authority while filing the approval or decision of the committee under section 30 or 33, as the case may be.”.

39D. Fee of the liquidator

While approving a resolution plan under section 30 or deciding to liquidate the corporate debtor under section 33, the committee may, in consultation with the resolution professional, fix the fee payable to the liquidator, if an order for liquidation is passed under section 33, for -

- (a) the period, if any, used for compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013;
- (b) the period, if any, used for sale under clauses (e) and (f) of regulation 32 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016; and
- (c) the balance period of liquidation.”.

6. In the principal regulations, in regulation 40A, in the Table,-

(i) for the entries relating to ‘Regulation 13(1)’ and ‘Regulation 13(2)’, the following entries shall respectively be substituted, namely:-

“Regulation 13(1)	Verification of claims received under regulation 12(1)	Within 7 days from the receipt of the claim	T+21
	Verification of claims received under regulation 12(2)		T+97”;

(ii) for the entries relating to ‘Section 22(1)/Regulation 19(1)’, the following entries shall be substituted, namely: -

“Section 22/ Regulation 19(2)	1 st meeting of the CoC	Within 7 days of filing of the report certifying constitution of the CoC, but with five days’ notice.	T+30”
----------------------------------	------------------------------------	---	-------

(iii) for the entries relating to ‘Regulation 27’, the following entries shall be substituted, namely: -

“Regulation 27	Appointment of valuer	Within 7 days of appointment of RP, but not later than 47 th day of commencement.	T+47”.
----------------	-----------------------	--	--------

7. In the principal regulations, in the Schedule, -

(a) for Form FA, the following Form shall be substituted, namely:-

**“FORM FA
APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION
PROCESS**

[Under Regulation 30A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[Through the Interim Resolution Professional / Resolution Professional]

[Name of corporate debtor]

Subject: Withdrawal of Application admitted for corporate insolvency resolution process of [Name of corporate debtor]

I, [Name of applicant], had filed an application bearing [particulars of application, i.e, diary number/ case number] on [Date of filing] before the Adjudicating Authority under [Section 7 / Section 9/ Section 10] of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The said application was admitted by the Adjudicating Authority on [date] bearing [case number].

2. I hereby withdraw the application bearing [particulars of application, i.e, diary number/ case number] filed by me before the Adjudicating Authority under [Section 7/Section 9/Section 10] of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

3. I attach the required bank guarantee as per sub-regulation (2) of regulation 30A.

(Signature of the applicant)

Date:

Place:

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary/designated partner and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity].”

(b) in Form H,-

(i) in paragraph 9, for the entries relating to Regulation 38(1), the following entries shall be substituted, namely: -

“Regulation 38 (1)	Whether the amount due to the operational creditors under the resolution plan has been given priority in payment over financial creditors?”;		
--------------------	--	--	--

(ii) in paragraph 10, for the entries relating to Regulation 36(1), the following entries shall be substituted, namely: -

“Regulation 36 (1)	Submission of Information Memorandum to CoC	T+54”.	
--------------------	---	--------	--

(iii) after paragraph 15, the following shall be inserted, namely:-

“15A. The committee has approved a plan providing for contribution under regulation 39B as under:

- a. Estimated liquidation cost: Rs.....
- b. Estimated liquid assets available: Rs.....
- c. Contributions required to be made: Rs.....

d. Financial creditor wise contribution is as under:

Sl. No.	Name of financial creditor	Amount to be contributed (Rs.)
1		
2		
..		
Total		

15B. The committee has recommended under regulation 39C as under:

- a. Sale of corporate debtor as a going concern: Yes / No
- b. Sale of business of corporate debtor as a going concern: Yes / No

The details of recommendation are available with the resolution professional.

15C. The committee has fixed, in consultation with the resolution professional, the fee payable to the liquidator during the liquidation period under regulation 39D.”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./153/19]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and was subsequently amended by-

- (1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 318 on 16th August, 2017;
- (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 386 on 5th October, 2017;
- (3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG019 dated the 7th November, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 7th November, 2017;
- (4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG022, dated the 31st December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 01 on 1st January, 2018;
- (5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 49 on 6th February, 2018;
- (6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG030, dated the 27th March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 124 on 28th March, 2018;
- (7) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/

GN/REG031, dated the 3rd July, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 253 on 4th July, 2018;

- (8) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG032, dated the 5th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 372 on 5th October, 2018; and
- (9) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG040, dated the 24th January, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 21 on 24th January, 2019.